प्रजातंत्र में जवाबदेही संस्थाओं की भूमिका

हम, भारतवासियों ने स्वंय को एक संसदीय प्रजातंत्र दिया है।

एक प्रजातंत्र, जिस पर हम सभी को गर्व है।

एक प्रजातंत्र, जिसने निरंतर लागभग दोगुनी आर्थिक वृद्धि दी है।

वास्तव में एक जीवंत लोकतंत्र, जिसमें प्रत्येक स्तंभ ने अपनी भूमिका का निष्पादन बहुत ही प्रभावी रूप से किया है।

हम भारतवासियों के पास, वह सारी स्वतंत्रता है जो एक सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक गणराज्य के पास संभवतः हो सकती है।

तीन स्तंभ अर्थातः विधायिका, कार्यपालिका और न्यापालिका ने दृढतापूर्वक उनकी भूमिकाओं का निष्पादन किया है।

चौथी सम्पदा भी बहुत सतर्क रही है और तेजी से निश्चयात्मक रूप से बढ़ रही है। हालही के समय में, जब नागरिक अहम स्थान पर आ गए हैं, और युवा शहरी मध्य वर्ग चाहता है कि उसे सुना जाये, तो मीडिया ने यह सुनिश्चित किया है कि इस आवाज को वास्तव में सुना जाये।

पॉचवी सम्पदा, यदि इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है तो, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरीक्षण और जवाबदेही संस्थाएँ हमेशा रहे हैं।

प्रजातंत्र में प्रत्येक स्तंभ से उनको दी गई भूमिका को निष्पक्ष दृष्टि से और ईमानदारी से निभाना अपेक्षित है। फिर भी, आम आदमी को आश्वासन देने के लिए और उसे आराम देने के लिए, सतर्कता का एक तत्व नियमित रूप से प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार की सतर्कता की विशेष रूप से अभिकच्पित जवाबदेही संस्थाओं जैसे कि निर्वाचन आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, नियामक निकायों के एक मेज़बान और अवश्य ही सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान जो कि भारत में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के सगंठन के रूप में जाने जाते हैं द्वारा निष्पादित की जाती है।

2. जबकि जवाबदेही के इनमें से कुछ संस्थान अपना जनादेश सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं, फिर भी कुछ को वैधानिक समर्थन प्राप्त है। नियामक संस्थाओं को सरकार द्वारा विशेष

संविधियों द्वारा निरीक्षण कार्यों से स्वयं को अलग रखने के लिए बनाया जाता है और विशेष क्षेत्र में तकनीकियों में निपुण विशेष निकायों को सौंपा जाता है। यह एक पूँजी बाजार नियामक निकाय, विद्युत नियामक विकाय अथवा प्रदूषण नियंत्रण निकाय हो सकता है। तथापि, इससे पहले की हम जवाबदेही की इन संस्थाओं की भूमिका और प्रासंगिकता की जॉच करें, यह उचित होगा कि यह पता लगाने के लिए की किस प्रकार वर्षों के दौरान ये संस्थाएं संकच्पित की गई थीं और स्वयं को इन्होंने रूपांतरित किया है, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाये।

3. शासन और जवाबदेही का विचार उतना ही पुराना है जितना की संगठित सरकार का। पुराने समय में राजा के संसाधनों के संरक्षण को सर्वक्षेष्ठ प्राथमिकता दी जाती थी। जितनी जल्दी हो सके तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, कौटिय्य ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अर्थशास्त्र में देखा था कि मानव प्रवृति निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन को प्राप्त करने के लिए है। उन्होंने लिखा कीः जैसा कि यह असंभव है की जीभ की नोक पर रखे शहद या विष का स्वाद लेने के लिए नहीं तो यह असंभव है कि सरकारी निधियों के साथ डील करने वाला राजा की सम्पत्ति को थोड़ा सा भी ग्रहण ना करे'। उन्होंने यह भी कहा किः 'जैसे कि यह जानना असंभव है की जब पानी में चल रही मछली इसे पी रही है तब यह भी पता करना असंभव है की उपक्रमों के लिए उत्तरदायी सरकारी सेवक धन का गबन कर रहे हैं'।

इसलिए कौटिल्य ने प्रशासनिक प्रणाली में जॉच और शेषों के एक क्रम का निरूपण किया। उन्होंने लिखा कि 'सभी मामलों में (जहॉ) एक अधिकारी के कारण राज्य को राजस्व की हानि हुई है..... वहॉ उसकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया जायेगा।'

4. एथेनियन राज्य में, इसके अधिकारियों की जवाबदेही की चिंता सर्वोपरि महत्व की थी। अधिकारियों की जवाबदेही जिम्मेदार सरकार की कुँजी थी और गैर-जिम्मेदारी में अराजकता निहित थी। अधिकारियों को वर्ष में दस बार अपने कार्यों के प्रतिवेदन पर रिपोर्ट नागरिक सभा में प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता थी। यदि स्पष्टीकरण को अपर्याप्त पाया जाता था, तो अधिकारी उनके साथी नागरिकों की निर्णायक समिति द्वारा सुनवाई के अध्यधीन होते थे।

एरिस्टोटल ने लिखा कि 'कुछ अधिकारी अधिक धन हेन्डल करते हैः इसलिए अन्य अधिकारियों को उनके लेखे प्राप्त करने और जॉच करने की आवश्यक्ता है। इन निरीक्षकों को

स्वयं को कोई भी निधि नहीं दी जानी चाहिए। विभिन्न शहरों में उन्हें निरीक्षक, लेखापरीक्षक, जॉचकर्ता- और सरकारी वकील कहतें है।

मध्यकालीन इंग्लैंड में, हमने देखा कि राजकोषीय जवाबदेही की चिंता सर्वोपरि थी। 13 वीं शताब्दी में ही, संसद ने लेखों की संवीक्षा की मॉग की थी और अनुवर्ती शताब्दियों में किए गए प्रयासों पर हेनरी IV द्वारा एक आपत्ति उठाई की कि राजा लेखे प्रस्तुत नहीं करते। 1688 की यशस्वी क्रांति के बाद, सामान्य जन को यह लगा कि वे 'बुद्धिमानी, विश्वसनीयता और अर्थव्यवस्था जिनसे अनुदानों का व्यय किया जाता है के निरीक्षण का एक बहुत अधिक व्यापक कार्य का दावा कर सकते हैं।' इसके कारण 'लेखों के कमिश्नर' की स्थापना हुई। बाद में 1780 में, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा वैधानिक आयोगों का सृजन जवाबदेही की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, चूँकि ये आयोग स्वतंत्र थे जैसा कि ये पिछले राजनैतिक संसाधनों से भिन्न थे।

5. आधुनिक समय में जवाबदेही, प्रक्रियाओ, प्रतिमानों और संरचनाओं से संबंधित है जोकि सार्वजनिक अधिकारियों की जनसंख्या को उनके कार्यों के लिए विधिवत् जिम्मेदार ठहराता है और यहॉ तक की यदि वे प्रतिमानों का उल्लंघन करते हैं तो प्रतिबंध भी लगाता है। सरकार की ओर से कार्य करने वालों को सौंपी गई प्रणालीगत जॉच सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही आवश्यक हो गयी है। यह आधुनिक और प्रजातांत्रिक समाज का एक मौलिक सिद्धांत है। एक प्रजातंत्र में, नागरिक सरकार का चुनाव करते हैं, और चयनित प्रतिनिधियों को उन पर शासन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। सरकार, इसलिए अपने नागरिकों के हित में कार्य करने के लिए और जिम्मेदार शासन प्रदान करने के लिए बाध्य है। सरकार अवसरंचना सृजित करने, सेवाएं देने और अपने लोगों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी राशि खर्च करती है। सरकारी धन की एक बड़ी मात्रा कर से आती है जिसें इसके नागरिकों से संग्रहीत करना अनिवार्य है। नागरिकों को यह जानने की आवश्यक्ता है कि क्या सरकारी निधियों का प्रबन्ध नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया गया हैं और क्या कार्यक्रम, परियोजनाएं और सेवाएं आर्थिक रूप से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं। सरकार जनता को इस पर जवाबदेह है कि क्या विभिन्न विकास और कल्याण कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं। इसलिए किसी प्रजातांत्रिक गठन में सरकार, इसकी एजेंसियां और धन का व्यय करने वाले सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही मुख्य रूप से आवश्यक हैं। अनुक्रमिक सरकारों ने एक दूसरे के

कार्यें को देखने के लिए क्षैतिज जवाबदेही वाली संस्थाओं का सृजन किया और उर्ध्वाधर जवाबदेही जिसमें राज्य के कार्यों का निरीक्षण करने वाले नागरिक शामिल हैं।

6. अधिकतर आधुनिक प्रजातांत्रिक संविधान शक्तिओं के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसद या संसदीय निरीक्षण निकायों द्वारा वैधानिक जवाबदेही कानून बनाने वाली संसदीय समिति की सुनवाईओं और यहॉ तक की सुविधाओं का निरीक्षण करने और अपेक्षा करने के द्वारा भी है। न्यायिक जवाबदेही का निष्पादन न्यायालयों द्वारा किया जाता है और मामलों का फैसला सुनाने द्वारा, मानवाधिकार की सुरक्षा करना और सरकारी निर्णयों की संवैधानिकता का निर्धारण करना है। राज्य के शीर्ष या मंत्री सहित कार्यकारी जवाबदेही लोकपाल या मानवाधिकार आयोगों जैसे संस्थानों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

7. जवाबदेही संस्थाएं एक सफल और व्यवसायी प्रजातंत्र की मूल संस्थाएं हैं। मजबूत और स्वतंत्र जवाबदेही संस्थाओं की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है की सरकार अपने कर्तव्यों का निष्पादन अपने नागरिकों के हित में करती है। इन संस्थाओं द्वारा निरीक्षण सरकारी प्रचालनों की अर्थव्यवस्था कुशलता और प्रभावीकता में सुधार करता है। यह संस्थान खराब प्रशासन, प्रणाली में अपव्यय और रिसाव का पता लगाता है और उसे रोकता है। वे शक्ति के दुरूपयोग और मनमाने व्यवहार पर अंकुश लगाते हैं। वे गैर-कानूनी और असंवैधानिक व्यवहार को रोकते हैं और जिम्मेदार और जवाबदेह नेतृत्व के मानकों को लागू करते हैं। निरीक्षण संस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुएं उस रूप में हो रही हैं जेसी की होनी चाहिए और स्वीकार्य पद्धतियों से विचलन का पता लगाया जाता है और किए गए मध्यावधि सुधार करने के लिए एक स्वतंत्र तन्त्र उपलब्ध कराते हैं। नागरिक अपनी सरकार में मूल पर्णधारी होते हैं और कोई भी सरकार जो कायम रहना चाहती है के लिए सार्वजनिक विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की स्वतंत्र संस्थाएॅं जनता को आश्वासित करती हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर प्रयास किए गए हैं और सरकार की प्रणाली में नागरिकों के विश्वास के निर्माण में सहायता करती हैं।

8. अपने कार्यों के निष्पादन में, इन निरीक्षण संस्थाओं को किसी भी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन नहीं होनी चाहिए। इन संस्थाओं को अनुचित प्रभावों से बचाना महत्वपूर्ण है। निरीक्षण को विरल करना या बाधा उत्पन्न करने और जवाबदेही संस्थाओं की विश्वसनीयता को चुनौती देने का प्रयास सामाजिक आवश्यक्ताओं और मुद्दों के प्रतिकूल ही होगा। आज समाज बहुत जागरूक और अधिक काम

की अपेक्षा रखने वाला हो गया है। जवाबदेही और अच्छा शासन लोगों के लिए महत्व रखता है जैसा पहले कभी नहीं था। इसलिए इन जवाबदेही संस्थाओं को सशक्ता करना और प्रणाली में जॉच और संतुलन को मजबूत करना संसद के हित में है। इन संस्थाओं को स्वायत्तता अधिकार दिए जाने और इनमें निहित शक्तिओं को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्षता से निष्पादित करने के लिए अनुमत किया जाना चाहिए। उनकी प्रभावीकता में सुधार करने के लिए अपेक्षित संसाधनों और कौशल का आवंटन किया जाना चाहिए। यह सरकार के कार्यचालन में जनता के विश्वास को रखने में सहायता करेगा और आम आदमी को सरकार के कार्यों, निर्णयों और निष्पादनों के लिए आश्वासित करेगा। मृतप्राय और कमजोर संस्थाएं जवाबदेही तन्त्र को कमजोर करती हैं और राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं।

9. आज हम एक नाजुक परिस्थिति में हैं। जवाबदेही लागू करने की प्रणाली की योग्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती। जवाबदेही से कराने वाली बाधाओं को हटाया जाना है। शक्ति और धन के अनुसरण में जवाबदेही को द्वितीय स्थान पर नहीं रखा जा सकता। प्रणाली में दिलचस्पी रखने वाले लोग विशिष्ट रूप से एक ओर सरकारी जवाबदेही के नियमों को और दूसरी ओर मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को नष्ट करते है। देश में हो रहे बहुत से रूपांतरणीय विकास सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के निर्णय लेने को उनके व्यक्तिगत एजेंडा के लिए मोड़ने का प्रयत्न करने वाले इस प्रकार के खिलाड़ियों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ऐसे लोग सबसे अधिक घातक बन जाते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जवाबदेही संस्थाएं बदलती परिस्थितिओं में स्वयं को ढ़ाल ले और लोक हित के कार्य में सहायता करें।

10. तथापि, निःसन्देह के जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है लोक एजेंसियो और सरकार की शाखाओं द्वारा कुरीतियों की जॉच के लिए उर्ध्वाधर जवाबदेही की अवधारणा। सिविल सोसाइटियों, एनजीओज, सम्पर्क साधन और नागरिकों, जैसा की उन्होंने हालही में प्रदर्शन किया है, अधिकारियों पर अच्छे निष्पादन के मानकों को लागू करने में महत्वपूर्ण घटक हो गए हैं। यह समूह अब और अधिक शांत बहुमत या अंधेरे में रहने के लिए इच्छुक नहीं है। वे अब बहुत निश्चयात्मक बन चुके हैं। उन्होंने अब अधिकारियों के निर्णयों पर प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया है और सरकार से पूछताछ करने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे सरकार के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और जवाबदेही की मॉग करते हैं। यह दल उनकी बढ़ी हुई जागरूकता, सामूहिक कार्य और भागीदारी के नए प्रकारों द्वारा नीति

कार्यान्वयन और सेवाओं के वितरण में उच्चतर जवाबदेही के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करतें हैं। सक्रिय नागरिक वर्ग से जवाबदेही की मॉग ने सरकार के लिए नई चुनौतियॉ रखी हैं और जवाबदेही की सभ्यता को बदलने और प्रजातंत्र को उन्नत बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा हैं। वास्तव में नये को स्वीकारते हुए पुराना चलन बदल रहा हैं। नागरिकों के नये, विचारशील और मॉग करने वाले वर्ग का एक नया युग आ गया है।

11. लेखापरीक्षा अच्छे शासन का एक शक्तिशाली यंत्र है। एक स्थापित प्रजातंत्र में दो बुनियादी सिद्धांत जवाबदेही और पारदर्शिता उनके अनुपालन के लिए एक बड़ी सीमा तक इस पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार लोक लेखापरीक्षा कार्य प्रवाह किया गया हैं। एक प्रभावी लेखापरीक्षा, सरकार के महत्वपूर्ण मूल्यों को महत्व प्रदान कर और उनकी सुरक्षा कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाती है। यह सरकार के संचालनों में पारदर्शिता को बढ़ाने में और उच्च पद पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियों को उजागर करने में सहायता करती है। यह सुप्रशासन प्रदान कर विभिन्न पण धारकों के हितों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी जोशपूर्ण संसदीय लोकतंत्र के लिए, संसद के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की प्रभावी प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत के रूप में एक स्वतंत्र प्राधिकरण के सृजन का निर्णय लिया। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की बाह्य लेखापरीक्षा आत्मविश्वास प्रदान करता है जिससे करदाता की ओर से संसद यह संवीक्षा करता है कि सरकार कैसे इसके द्वारा दत्तमत्त धन का प्रयोग करे और सरकार के खातों को संभालती है। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार की सार्वजनिक जिम्मेदारी के क्रम में महत्वपूर्ण कड़ी है।

सार्वजनिक क्षेत्र वातावरण की बढ़ती जटिलता ने भी लेखापरीक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत की है। लोगों की आशाओं और संसद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करना महत्वपूर्ण है। अतः, सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखा स्थापना में हमने हाल ही में यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल और नई प्रक्रिया आरंभ की है कि हम

वर्तमान के दैनिक परिवर्तन के प्रति सचेत रहे। हम संसद की सहायता करने में और सरकार उत्तरदायित्व तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए तथा प्रशासन में मूल्य जोड़ने के लिए अग्रसक्रिय हैं।

12. लेखापरीक्षा का केंद्र बिंदू विगत कुछ वर्षों के दौरान मुख्य परिवर्तन से गुजरा है। सामाजिक-आर्थिक विकास गतिविधियों पर बड़े व्यय के कारण ध्यान निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्रों पर शिफ्ट हो गया है। लेखापरीक्षा पूर्व- स्थापित लक्ष्यों के प्रति सरकार के संचालनात्मक निष्पादन का आकलन है और लोगों के कार्यक्रमों और कार्यों को करने के अपने उत्तरदायित्व को जांचने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रशासक के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र उपलब्ध कराती है और लोगों के लिए सरकार के उत्तरदायित्वों को सुधारने के लिए एक तंत्र है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सहायता करता है कि उनके संचालन प्रभावी और कुशल हैं। लेखापरीक्षा विभाग सरकार की मुख्य उत्कृष्ट कार्यक्रमों का विस्तृत निष्पादन मूल्याकंन किया गया। ध्यान उन मामलों पर है जो सह-नागरिकों के कल्याण को प्रभावित करता है- मामले जिनमें उनके दैनिक जीवन जैसे खाना, स्वास्थय, शिक्षा और रोजगार शामिल होते हैं। ये समीक्षाएं मध्यावधि सुधारों के लिए सरकार को अर्थपूर्ण सिफारिशें उपलब्ध कराती हैं। विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन का ध्यान इस बात पर है कि कर दाता परिणामों पर केंद्रित होकर उनके धन से क्या प्राप्त करते हैं। विभाग निष्पादन परिणामों को आंकने के मामले को सुलझाने के लिए अपनी लेखापरीक्षण तकनीकों और कार्यपद्धतियों के अद्यतन के लिए कदम उठा चुका है।

13. हाल ही के वर्षों में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए मांग केंद्रीय निधियों का सौंपने में नियमित शिफ्ट के कारण और सरकार के स्थानीय स्तर की सामाजिक-आर्थिक योजनाओं से संबंधित कार्यों, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय और विशिष्ट योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अन्य विशेष उद्देश्य हेतु एजेंसियां सामाजिक

लेखापरीक्षा के लिए मांग में वृद्धि हुई है। वास्तव में, सरकार सामाजिक लेखापरीक्षा आरंभ करने की आशा से सक्रिय है। भारत जैसे देश में सरकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के आकार, स्तर और सीमा के मद्देनजर, विस्तृत मानव संसाधन स्रोत की उपलब्धता के बावजूद, आधारित स्तर पर पूर्ण उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता के रूप में सरकारी लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत और विवरणात्मक होना संभव नहीं है। इस वास्तविकता को जानकर और लोगों के बीच अपने अधिकारों और शाक्तियों की जागरूकता की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, लेखा परीक्षा विभाग ने सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा को सुदृढ़ किया है। सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों की लेखापरीक्षाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा को एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में विभाग द्वारा लेखापरीक्षण की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। सामाजिक लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षाओं को सुदृढ़ बनाता है और उनके महत्व को बढ़ाता है। इसने सामुदायिक परिसंपत्तियों और उनकी वास्तविक उपयोगिता के अस्तित्व सहित, और कार्यक्रमों को करने के उनके अनुभव और सत्यापन के लिए लाभार्थियों तक न पहुँचने की बाधा को समाप्त करने में विभाग की सहायता की है। इसने योजना, कार्यान्वयन और निगरानी कार्यक्रम की सुक्ष्म स्तर की संवीक्षा को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान किये हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा ने विभागीय और विधायी माध्यमों द्वारा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की परम्परागत प्रक्रियाओं का एक अन्य तंत्र भी उपलब्ध कराया है।

14. यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारा आदेश केवल रिपोर्ट तैयार करना और उनको विधान पालिका के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं है। संविधानात्मक शासनादेश विधानपालिका के लिए सरकारी वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपकर हमें और बड़ा उत्तरदायित्व सौंपता है। यह अंतिम पणधारक जैसे आम आदमी, सरकारी खर्च के परिणामों और न केवल व्यय लेखापरीक्षा करने को आंकने का आदेश देता है। इस प्रकार विचारों को जागरूक करने के लिए, हमने नागरिक समूहों, गैर-सरकारी निकायों, शैक्षिक संस्थाओं और मीडिया के

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रचारित करने के लिए कदम उठाये हैं। यह इस उद्देश्य के मेद्दनजर है कि जिसे हमारे द्वारा हमारे मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों के स्नैपशॉट उपलब्ध कराने वाले सामान्यत: ''नॉडी बुक्स'' के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये ''नॉडी बुक्स'' कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रथाओं को भी मुख्य रूप से दर्शाती हैं और ऐसी परियोजनाओं को लागू करने वाली अन्य संस्थाओं से इन प्रथाओं का प्रचारित करने का एक माध्यम उपलब्ध कराता है। हमारा विश्वास है एक रूचि रखने वाले पणधारकों को जागरूक करने के लिए ऐसी पहल ने हमारे लिए बल को बढ़ाने का कार्य किया है और उत्तरदायित्व और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करने में सहायता करता है।

15. एक संस्था के रूप में जो निगरानी संबंधी कार्य करता है, हम सचेत है कि हम स्वयं को अद्यतित रखे और हमारी कार्य प्रणालियाँ और कार्यपद्धतियां सुदृढ़ और विश्वसनीय रहें। इसलिए, हमने अन्य देशों के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संगठनों से हमारे संगठन की समूह समीक्षा करने का अनुरोध किया। आस्ट्रेलिया के महालेखापरीक्षक ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भारत के सीएजी की प्रक्रियाओं और पद्धतियों की गहन समूह समीक्षा करने के लिए आस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और सयुंक्त राज्य अमेरिका के साई सदस्यों से एक अंतर्राष्ट्रीय टीम तैयार की है। प्रशासन प्रणाली में उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए विश्व में एक प्रभावी संगठन के रूप में अपने प्रक्रियाओं और कार्यों को ईष्टतम रूप से श्रेणीबद्ध करने का हमारा प्रयास है।

16. विश्व भर में, सरकारों ने अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए प्रशासन का मॉडल और नागरिकों की बढ़ती मांगों में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों को सशक्त किया है। विभिन्न राष्ट्रीय लेखापरीक्षण कार्यालयों के आदेश न केवल सरकार की वैधता और सत्यनिष्ठा बल्कि इसकी कुशलता और प्रभावकारिता को सुरक्षित करने के लिए विस्तृत किये गये हैं। यू.के. में, सीएजी को 1983 में हाऊस के एक अधिकारी

के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया था और उनके अपने विवेकानुसार सार्वजनिक विधियों का प्रयोग करने वाले सरकारी निकायों के अर्थ प्रबंधन, कुशलता, और प्रभावकारिता पर संसद को रिपोर्ट करने के अधिकार दिये गये थे।

अपनी उत्तरदायित्व भूमिका को केंद्र में लाने के लिए विकसित सार्वजनिक लेखापरीक्षा की एक सांकेतिक अभिव्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की पुन:स्थापना है। पूर्व 'महालेखाकार कार्यालय' को 'सरकारी दायित्व कार्यालय' के रूप में पुन: नामित किया गया था। यूएसए में जुलाई 2004 में, कई प्रस्ताव बाह्य लेखापरीक्षक के मत संवर्धन के लिए 110$^{वीं}$ कांग्रेस में लाये गये थे। संस्था में रूपांतरण का विस्तार करते हुए श्री डेविड वॉकर, पूर्व महालेखापरीक्षक ने लिखा, ''निष्पक्ष रूप से, जीएओ ने अपने पूर्व वर्षों में सरकारी वाऊचर और प्राप्तियों को प्राथमिक रूप से संवीक्षा की। तथापि, लेखाकारों के अच्छे दिन बहुत पहले जा चुके है। यद्यपि, जीएओ यू.एस. सरकार के समेकित वित्तीय विवरण के मुख्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है, वित्तीय लेखापरीक्षाएं जीएओ के वर्तमान कार्यभार का केवल लगभग 15 प्रतिशत हैं। एजेंसी के लगभग सभी कार्य में देश और विदेश दोनों में कार्यक्रम मूल्यांकन, नीति विश्लेषण और विधिक विचार और निर्णय शामिल होते हैं। आज जीएओ कार्य के कार्यक्षेत्र में वस्तुत: वह सब शामिल है जो संघ सरकार विश्व भर में करने का प्रयास कर रही है या विचार कर रही है।''

कनाडा में, निष्पादन लेखापरीक्षाएं कराने के लिए महालेखापरीक्षक प्राधिकार देने के लिए महालेखापरीक्षक अधिनियम को संशोधित करने के लिए दिसम्बर 2006 में संघ उत्तरदायित्व अधिनियम संसद ने पास किया।

आस्ट्रेलीयन राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय में अपने शतवर्षीय उत्सव पर निष्पादन के लिए धन और उत्तरदायित्व के लिए मूल्य के आधार पर अनुपालन पर मुख्यत: जोर देने से

विगत दशक से परिवर्तन रिकॉर्ड करने के लिए 'लेखांकन से उत्तरदायित्व तक' पुस्तक प्रकाशित की।

17. जैसा कि मैनें निष्कर्ष निकाला, यह याद दिलाने के लिए आज मैं आपके समक्ष कि हम भारतीय इतिहास में उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे संविधान के निर्माताओं की शपथ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। चुनौती यह है कि हम सबको लोकतंत्र की देन है जिसने हमें कार्य करने का अवसर दिया और हम स्व:शासन में सफल हुए हैं।

आज, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र सरकार में एक प्रयोग है, जो अपनी विशेषता लोगों की विशेषता जिन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से कार्य की आवश्यकता है पर सफल या असफल होता है:

उनकी विशेषता पर जिन पर, हमने सार्वजनिक धन और इसलिए हमारे कल्याण को नियंत्रित करने के लिए वैश्वासिक ट्रस्ट तैयार किया है:

और संस्थाओं की विशेषता पर कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि हालांकि सरकार की सभी कार्रवाई और कार्यक्रमों को लोगों के कल्याण के लिए तैयार किये गये है।

यह याद दिलाने के लिए आज मैं आपके समक्ष कि वास्तव में कोई भारत या इंडिया नहीं है। हम सब सजातीय हैं। हम लोग अपनी भौगोलिक सीमाओं के साथ राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और हम लोगों ने स्वयं को सरकार या राज्य दिया है। यह उत्तरदायित्व हमें यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि राज्य हमारे लाभ के लिए कार्य करे, कि राष्ट्र कभी भी राज्याधीन नहीं हो सकता, और हमारी संस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ की जायें कि हम जिनमें अपनी ओर से प्रशासन के लिए विश्वास दर्शाते हैं, उन्हें कल्याण हेतु हमें सर्वोपरि रखना चाहिए।

यह याद दिलाने के लिए आज मैं आपके समक्ष कि अंतत: हम ही वह लोग है जिनकी भावी पीढ़ी उत्तरदायित्व संभालेगी, यदि हम आज यह सुनिश्चित नहीं करते कि हम सभी पहलूओं से धनी भारत को भावी पीढ़ी को प्रदान करें, तभी हम विरासतवान होंगे।